पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-881
दिनांक-18.04.2025

जोन-थाना /पूर्वी -आशियाना

- **दुष्कर्म करने के 03 नफर आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना आशियाना पुलिस की कार्यवाही।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादिनी के द्वारा दिये गये प्रा0 पत्र (प्रकरण- अभियुक्तों द्वारा वादिनी के साथ छेड़खानी करते हुये सामूहिक बलात्कार करने एवं गाली गलौज करने एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में) के आधार पर थाना आशियाना पर दिनांक 10.02.2025 को मु0अ0सं0 40/2025 धारा 74/115(2)/352/351(3)/127(2) बीएनएस बनाम 1.अरविन्द पुत्र बेचांलाल निवासी पानी की टंकी के पास औरंगाबाद जागीर थाना आशियाना लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष 2.राम सुमिरन पुत्र मंगू उर्फ गंगू निवासी औरंगाबाद जागीर थाना आशियाना लखनऊ उम्र करीब 44 वर्ष 3.सचिन पुत्र बेचालाल निवासी औरंगाबाद जागीर थाना आशियाना लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में वादिनी मुकदमा के बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 70(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्र0नि0 आशियाना के द्वारा ग्रहण की गयी।

आज को चौकी रमाबाई मैदान के पास से मुखबिरखास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तों 1.अरविन्द पुत्र बेचांलाल निवासी पानी की टंकी के पास औरंगाबाद जागीर थाना आशियाना लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष 2.राम सुमिरन पुत्र मंगू उर्फ गंगू निवासी औरंगाबाद जागीर थाना आशियाना लखनऊ उम्र करीब 44 वर्ष 3.सचिन पुत्र बेचालाल निवासी औरंगाबाद जागीर थाना आशियाना लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष से पकड़कर पूछताछ कर उनका नाम पता तस्दीक करते हुये उन्हे उनके जुर्म से अवगत कराते हुये दिनांक 18.04.2025 को हिरासत पुलिस लिया गया है।

02-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द पुत्र बेचांलाल निवासी पानी की टंकी के पास औरंगाबाद जागीर थाना आशियाना लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष
2. राम सुमिरन पुत्र मंगू उर्फ गंगू निवासी औरंगाबाद जागीर थाना आशियाना लखनऊ उम्र करीब 44 वर्ष
3. सचिन पुत्र बेचालाल निवासी औरंगाबाद जागीर थाना आशियाना लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-878
दिनांक-18.04.2025

- जोन- उत्तरी/ थाना-गुडम्बा

वाहन चोरी कर फर्जी/कूटरचित नम्बर प्लेट लगाकर वाहनों की बिक्री करने वाले गिरोह का किया गया खुलासा।

- **गिरोह के 05 शातिर चोर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद स्कूटी बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से वाहन चोरी कर एकान्त पड़े मकान में इकट्ठा कर कूटरिचत न0 प्लेट लगाकर की जाती थी बिक्री।**
- **थाना गुडम्बा पुलिस की सफलता।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.04.2025 को वादी मुकदमा मो0 आरिफ निवासी-बगिया, निकट स्पोर्ट कालेज, थाना गुडम्बा लखनऊ ने जब उनके पिता दो पहिया वाहन से बाजार में अपने निजी किसी काम से गये थे तो उनकी साइकिल संख्या UP 32 LK 2189 के चोरी हो जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 141/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वाहनों की हो रही चोरियों की घटनाओं के खुलासे/रोकथाम के लिए पुलिस उपायुक्त, उत्तरी महोदय के निर्देश में थाना स्थानीय पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया। दिनांक 17/18.03.2025 को देर रात्रि पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र में मामूर थी कि जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुयी कि कुछ व्यक्ति **कुकरैल जंगल के किनारे पंचायतपुरवा गांव** में एक बंद पड़े मकान में संदिग्ध वाहनो के साथ मौजूद है।

इस सूचना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के निशांदेही पर पंचायतपुरवा गांव में एक बंद पड़े मकान के पास पहुंचे देखा कि 02 वाहन जो बाहर खड़े है, इसी वाहन से संदिग्ध लोग आये थे। घर के अंदर प्रवेश कर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को एक बारगी दबिश देकर पकड़ा गया जिसमें 02 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम पता क्रमशः-

01.**अभिनव कुमार वर्मा उर्फ शोभित वर्मा** पुत्र राम आसरे वर्मा
02. **आदित्य कनौजिया उर्फ आजाद उर्फ भोले** पुत्र राजेश कनौजिया
03. **आयुष यादव** पुत्र रामसिंह यादव
04. **शिव कनौजिया** पुत्र संदीप कनौजिया
05. **समर कनौजिया उर्फ विशाल** पुत्र आजाद उर्फ कल्लू कनौजिया बताया। बाहर खड़े वाहनो के कागजात के बारे में पूछा गया तो दिखाने से कासिर रहे। जिस पर संदेह होने पर दोनो बरामद वाहनो का रजिस्ट्रेशन नम्बर ई चालान ऐप के माध्यम से चेक किया गया तो दोनो वाहनो पर कूटरचित नम्बर प्लेट लगा पाया गया।

कड़ाई से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि ये लोग वाहन को चोरी करके बेचते है और यह दोनो वाहन को भी आज बेचने की फिराक में थे।

अभियुक्तों को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 02.45 बजे अंतर्गत धारा 303(2)/317(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस हिरासत पुलिस में लिया गया। जिनके विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

फरार अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

02-अपराध का तरीका/उद्देशयः-

अभियुक्त द्वारा आर्थिक लाभ के लिए भीड़-भाड़ वाली जगहो से मौका पर व एकान्त में खड़े वाहनों को चोरी करके फर्जी/कूटरचित नम्बर प्लेट प्रयोग कर विक्रय कर दिया जाता है। 03-गिरफ्तार अभियुक्तों का

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अभिनव कुमार वर्मा उर्फ शोभित वर्मा पुत्र राम आसरे वर्मा उम्र 23 वर्ष निवासी मकान न0 1/245 सेक्टर जे जानकीपुरम PS गुडम्बा लखनऊ (बेरोजगार)
2. आदित्य कनौजिया उर्फ आजाद उर्फ भोले पुत्र राजेश कनौजिया उम्र 23 वर्ष निवासी बसहा PS गुडम्बा लखनऊ (लान्डरी में कार्य करते है)
3. आयुष यादव पुत्र रामसिंह यादव उम्र 21 वर्ष निवासी डिपो चौराहा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ (बेरोजगार)
4. शिव कनौजिया पुत्र संदीप कनौजिया उम्र 19 वर्ष निवासी मछली फाटक मंजू टंडन का ढलान थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ (लान्डरी में कार्य करते है)
5. समर कनौजिया उर्फ विशाल पुत्र आजाद उर्फ कल्लू कनौजिया उम्र 19 वर्ष निवासी कल्याणगिरी मन्दिर के नजदीक मंजू टंडन वार्ड थाना ठाकुरगंज लखनऊ (लान्डरी में कार्य करते है)

04-बरामदगीः-

01-सुपर स्प्लेन्डर कूट रचित नम्बर प्लेट संख्या UP 32 GK 1592 (वास्तविक नम्बर UP 32 LK 2189) सम्बन्धित मु0अ0सं0 141/25 303(2)/317(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना गुडम्बा लखनऊ

02-होण्डा एक्टिवा कूट रचित नम्बर प्लेट संख्या UP 32 GS 6989 (वास्तविक नम्बर UP 32 LK 9783) सम्बन्धित मु0अ0सं0 4/21 धारा 379 IPC थाना सरोजनीनगर लखनऊ

05-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 141/25 303(2)/317(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना गुडम्बा लखनऊ
2. मु0अ0सं0 4/21 धारा 379 IPC थाना सरोजनीनगर लखनऊ

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बाः-

1. SHO श्री प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव
2. उ0नि0 श्री रंजीत कुमार मिश्र
3. उ0नि0 श्री त्रिविक्रम सिंह
4. उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार सिंह
5. उ0नि0 श्री अतीश कुमार सिंह
6. हे0का0 अशोक यादव
7. हे0का0 अमित सिंह
8. का0 विवेक सिंह
9. का0 अंकित यादव
10. का0 अनिल कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-883

दिनांक-18.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ महोदय द्वारा जारी एनबीडब्लू सम्बन्धित वाद सं0 1013/14 मु0अ0सं0 66/09 धारा 147/506 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अयूब पुत्र हाफिज जलालुद्दीन निवासी अमानीगंज थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तारी अधिपत्र दिखाते हुए थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.04.2025 को हिरासत पुलिस लिया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका:-

मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन न करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अयूब पुत्र हाफिज जलालुद्दीन निवासी अमानीगंज थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष (व्यवसाय- खेती)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना इटौंजा लखनऊ
2. उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना इटौंजा लखनऊ
3. का0 राहुल यादव थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-879
दिनांक- 18.04.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम लखनऊ

- **01शातिर वाहन चोर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।**
- **थाना जानकीपुरम पुलिस की कार्यवाही।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.02.2025 को शिकायत कर्ता श्री कमलदीप शर्मा पुत्र श्री राम मूर्ति शर्मा निवासी सेक्टर 03 थाना जानकीपुरम लखनऊ द्वारा शिकायत किया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन संख्या यूपी32ईसी6890 चोरी कर लिया है। तत्काल उक्त शिकायत के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 028/2025 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री हेमेन्द्र सिंह को सुपुर्द हुई।

मुकदमा उपरोक्त में सीसीटीवी कैमरा व अन्य साक्ष्य की मदद से दिनांक 17.04.2025 को मुखविर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त देवेंद्र यादव पुत्र अलियार यादव उम्र-43 वर्ष निवासी- शांति रेजिडेंसी मकान नंबर -08 मिर्जापुर पुलिया के पास जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ ,मूल पता ग्राम- मटखन्ना पोस्ट -नारी पचदेवरा थाना- रामपुर माझी जनपद- गाजीपुर को सीडीआरआई रोड पर गेट नंबर -01 व गेट नंबर -02 के बीच पुलिया से अन्तर्गत धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में समय करीब 20.40 बजे गिरफ्तार किया गया। मुकदमा में वाहन में वाहन संख्या यूपी32 ईसी 6890 की बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त उपरोक्त को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-अपराध का तरीका/उद्देश्यः-

वाहन चोरी कर पैसा कमाना

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

देवेंद्र यादव पुत्र अलियार यादव उम्र-43 वर्ष निवासी- शांति रेजिडेंसी मकान नंबर -08 मिर्जापुर पुलिया के पास जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ ,मूल पता ग्राम- मटखन्ना पोस्ट -नारी पचदेवरा थाना- रामपुर माझी जनपद- गाजीपुर (व्यवसाय – सब्जी बेचना)।

04-अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 323/23 धारा 171/379/411/414 भादवि0 थाना गुडम्बा
2. मु0अ0स0 401/22 धारा 379/411/467/468/471 भादवि0 थाना गुडम्बा
3. मु0अ0स0 028/2025 धारा 379/411 भादवि थाना जानकीपुरम

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम

01-व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा
02-उ0नि0 हेमेन्द्र सिंह
03-उ0नि0 मनीष कुमार चौहान
04-हे0का0 अजीत वर्मा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-882
दिनांक-18.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-मोहनलालगंज

- **कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री कराने वाला 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.10.2024 को वादी श्री राजकुमार वर्मा पुत्र श्री मोहनलाल वर्मा नि0 भवन सं0 439/138ग/3 ठाकुरगंज, लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया कि मैं व मंजू वर्मा पत्नी सुनील कुमार वर्मा की कृषि योग्य भूमि स्थित ग्राम भदेसुवा (निगोहां) के संयुक्त रूप से स्वामी हैं। उक्त कृषि योग्य भूमि हम लोगो ने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से दिनांक 30-07-2009 व दिनांक 07-08-2009 को क्रय किया था दिनांक 09-11-2022 को मेरे स्थान पर एक अन्य फर्जी व्यक्ति को खडा कर प्रार्थी की सम्पत्ति को समरजीत पुत्र बाबूलाल निवासी मसूदपुर बलिया रामवन कुटीर जिला बाराबंकी को विक्रय कर दिया है तथा दिनांक 29-09-2023 को श्रीमती मंजू वर्मा के स्थान पर अन्य महिला को खड़ा कर कूटरचित दस्तावेज वसी अहमद सिद्दीकी पुत्र सईद अहमद सिद्दीकी निवासी मोहल्ला इन्दिरानगर तम्बौर जिला सीतापुर व अमरीश तिवारी पुत्र रामस्वरूप निवासी भिखारीखेडा पोखरा जिला बाराबंकी को विक्रय कर दिया गया है। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज लखनऊ में 458/24 धारा 419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था।

विवेचना से अभियुक्तों 1.राज कुमार मिश्र उम्र करीब 53 वर्ष पुत्र राम कैलाश मिश्र निवासी 574/40 गुरूनानक नगर आलमबाग जनपद लखनऊ 2. रीना मिश्रा पत्नी राजकुमार मिश्रा नि0 उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। आज दिनांक 18.04.2025 को अभियुक्त राजकुमार मिश्रा को पूरनपुर किसान पथ के नीचे से गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अभियुक्ता रीना मिश्रा की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियोग में नामित अन्य आरोपीगणों के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका- **अभियुक्त राजकुमार मिश्रा उपरोक्त द्वारा** वादी श्री राजकुमार वर्मा पुत्र श्री मोहनलाल वर्मा बनकर वादी की भूमि का बैनामा कर दिया गया था तथा अभियुक्त की पत्नी रीना मिश्रा द्वारा मंजू वर्मा की बनकर मंजू वर्मा की भूमि का बैनामा किया गया था।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-887

दिनांक 18.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 अराजकतत्वों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

प्राप्त सूचना के आधार पर उ0नि0 महेश कुमार सिंह देखभाल चौकी क्षेत्र प्लासियों में मामूर था तभी सूचना मिली एक व्यक्ति जिसका नाम सुजीत यादव है जो कि प्लासियो माल के आस-पास घूम फिर रहा है व आने-जाने वाले लोगों से आगामी आईपीएल मैच के टिकट दिलाए जाने की बातचीत के दौरान कम मूल्य के टिकट के ऊंचे दाम मांगे जाने की बात को लेकर उत्तेजक बातें कर रहा है, जिस कारण आस-पास के लोगों से इसकी तीखी नोक-झोक हो रही है, मौके पर पुहंचा व ऐसा करने का कारण पूछा तो मौके पर मौजूद उक्त व्यक्ति किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ, बल्कि अधिक उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगा जिससे मौके पर राहगीरो की काफी भीड़ इक्ठ्ठा होने लगी कारणवश मौके पर असहज स्थिति उत्पन्न हो गयी। मौके पर संज्ञेय/गम्भीर अपराध रोकने और शान्ति व्यवस्था भंग होने का पूर्ण अंदेशा होने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने से निवारित किये जाने के दृष्टिगत कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए दिनांक-17.04.2025 को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0प्र0 आशीष शर्मा मय पुलिस टीम के साथ थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम मे चौकी क्षेत्र अहिमामऊ प्लासियो माल के पास मामूर था सूचना मिली की एक व्यक्ति रिक्शा चालक से विवाद कर रहा है इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह मौके पर आया तो देखा उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर व्यक्ति द्वारा अपना नाम प्रभात सिंह पुत्र अवनी कुमार सिंह निवासी ग्राम जोगिनका कठौता पो0 गोपीगंज थाना गोपीगंज जनपद भदौही (संत रविदास नगर) वर्तमान पता फ्लैट नं0- 603 ध्रुव ए पार्थ आघय्न्त निकट प्लासियो माल लखनऊ उम्र- 27 वर्ष बताया पुलिस बल द्वारा कारण पूछा गया तो उक्त व्यक्ति तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगा मौके पर उक्त व्यक्ति को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु उक्त व्यक्ति किसी की बात मानने को तैयार नही हुआ बल्कि और अधिक उग्र होकर आमदा फौजदारी होने लगा जिससे मौके पर काफी भीड़ इक्ठ्ठा होने लगी कारणवश असहज स्थिति उत्पन्न हो गयी। मौके पर संज्ञेय/गम्भीर अपराध रोकने और शान्ति व्यवस्था भंग होने का पूर्ण अंदेशा होने पर उसे रोकने के अलावा कोई अन्य उपाय न होने के दृष्टिगत कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए प्रभात सिंह पुत्र अवनी कुमार सिंह उपरोक्त को दिनांक-18.04.205 को गिरफ्तार कर धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सुजीत यादव पुत्र सूर्य लाल यादव नि0 मिनर्वा क्लीनिक के पास पृथ्वीपुरम अहिमामऊ थाना सुशान्त गोल्फ सिटी मूल निवासी ग्राम मौरावां मेघवा पोस्ट नकटी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा उम्र- 22 वर्ष
2. प्रभात सिंह पुत्र अवनी कुमार सिंह निवासी ग्राम जोगिनका कठौता पो0 गोपीगंज थाना गोपीगंज जनपद भदौही (संत रविदास नगर) वर्तमान पता फ्लैट नं0- 603 ध्रुव ए पार्थ आघय्न्त निकट प्लासियो माल लखनऊ उम्र- 27 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0 48/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना तालकटोरा लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 परन्तप राय थाना तालकटोरा लखनऊ।
2. हे0का0 आनंदमणि सिंह थाना तालकटोरा लखनऊ।
3. का0 घनश्याम यादव थाना तालकटोरा लखनऊ।
4. म0का0 दीप्ति शर्मा थाना तालकटोरा लखनऊ।